

No. 25/34/68-Estt(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi-1, the 20th Dec., 1968
29 Agrayana, 1990.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Representations from Government servants
on service matters - Treatment of.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 119/52-Ests. dated the 30th April, 1952 on the subject mentioned above (copy enclosed for ready reference). It has been brought to the notice of the Ministry of Home Affairs that undue delay occurs very often in the disposal of representations from Government servants in regard to matters connected with the service rights or conditions which causes hardship to the individuals concerned.

2. The representations from Government servants on service matters may be broadly classified as follows:-

- (1) Representations/complaints regarding non-payment of salary/allowances or other dues;
- (2) Representations on other service matters;
- (3) Representations against the orders of the immediate superior authority; and
- (4) Appeals and petitions under statutory rules and orders (e.g. Classification, Control and Appeal Rules and the petition Instructions).

3. In regard to representations of the type mentioned at (1) & (2) above, if the individual has not received a reply thereto within a month of its submission, he could address, or ask for an interview with the next higher officer for redress of his grievances. Such superior officer should immediately send for the papers and take such action as may be called for, without delay.

4. Representations of the type mentioned at (3) above, would be made generally only in cases where there is no provision under the statutory rules or orders for making appeals or petitions. Such representations also should be dealt with as expeditiously as possible. The provisions of the preceding paragraph would apply to such representations also, but not to later representations made by the same Government servant on the same subject after his earlier representation has been disposed off appropriately.

... 2/-

5. In regard to the representations of the type mentioned at (4) above, although the relevant rules or orders do not prescribe a time limit for disposing of appeals and petitions by the competent authority, it should be ensured that all such appeals and petitions receive prompt attention and are disposed within a reasonable time. If it is anticipated that an appeal or a petition cannot be disposed of within a month of its submission, an acknowledgement or an interim reply should be sent to the individual within a month.

6. The instructions contained in paragraph 2 of this Ministry's Office Memorandum No. 118/52-Insts. dated the 30th April, 1952, will stand modified to the extent indicated in the paragraphs 3, 4 and 5 above.

Sd/-
(P.S. VENTATESWARAN)
Under Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Departments of the Government of India
etc. with usual number of spare copies.

संख्या-25/34/68-स्थापना/क

भारत-सरकार

गृह-मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक दिसंबर 20, 1968

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:-सेवा मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर कार्रवाई ।

उक्त उक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 30.4.1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 118/52-स्था० तत्काल संदर्भ के लिए प्रति संलग्न का हवाला देने का निर्देश हुआ है । गृह मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि सेवा अधिकारों अथवा शर्तों से संबंधित मामलों पर सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के निपटान में कभी-कभी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है जिसे संबंधित व्यक्तियों को कठिनाई होती है ।

2. सेवा मामलों के बारे में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों को छोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

॥1॥ वेतन/भत्ते अथवा अन्य देय राशि के भुगतान न होने के संबंध में अभ्यावेदन/शिकायतें ;

॥2॥ अन्य सेवा मामलों के संबंध में अभ्यावेदन ;

॥3॥ तत्काल वरिष्ठ-प्राधिकारों के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन; तथा

॥4॥ सांविधिक नियमों तथा आदेशों ॥अर्थात् वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों और याचिका अनुदेशों॥ के अधीन अपीलें तथा याचिका

3. उक्त ॥1॥ तथा ॥2॥ पर उल्लिखित स्वरूप के अभ्यावेदनों के संबंध में, यदि संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के एक मास के भीतर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अपनी शिकायत दूर कराने के लिए अगले उच्च अधिकारी को लिख सकता है अथवा उसके मुलाकात का सम्यक् मांग सकता है ; ऐसा वरिष्ठ अधिकारी आगजात तत्काल मंगायेगा और बिना कोई विलम्ब किए अपेक्षित कार्रवाई करेगा ।

4. उक्त ॥3॥ पर उल्लिखित स्वरूप के अभ्यावेदन सामान्यतः उन्हीं मामलों में किए जाएंगे जबकि सांविधिक नियमों तथा आदेशों के अधीन अपील तथा याचिकाएँ करने का उम्रबन्ध न हो । ऐसे अभ्यावेदनों पर भी यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये । पूर्ववर्ती पैरे के उम्रबन्ध ऐसे अभ्यावेदनों पर भी लागू होगे किन्तु उन्हीं सरकारी कर्मचारी द्वारा उसी विषय पर किए गये बाद के ऐसे अभ्यावेदनों पर लागू नहीं होंगे जो उसके पहले अभ्यावेदन पर उक्त कार्रवाई किए जाने के बाद दिए जाते हैं ।

5. उपर्युक्त § 4५ पर उल्लिखित स्वरूप के अध्यावेदनों के संबंध में, यद्यपि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अमील तथा घाचिकाएं निमटाये जाने के लिए संबंधित निम्नों अथवा आदेशों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी सभी अमीलों तथा घाचिकाओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए और उन्हें उचित समय के भीतर निमटा दिया जाए। यदि यह प्रत्याशा हो कि किसी अमील अथवा घाचिका को इसके प्रस्तुत किए जाने से एक मास के भीतर नहीं निपटाया जा सकता तो संबंधित व्यक्ति को एक मास के भीतर यावती अथवा अतिरिक्त उत्तर भेजा जाना चाहिये।

6. इस मंत्रालय के दिनांक 30-4-1952 के कार्यालय नमून संख्या 118/52-स्था० के पैरा 2 में दिए गए अज्ञेय ऊपर के पैरा 3, 4 तथा 5 में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित हो जाएंगे।

HO/-

{पी. स्त. वेंकटेश्वरन}

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि अतिरिक्त प्रतियों सहित।